

भारतीय हिन्दी प्राध्यापक परिषद का 'कर्नाटक प्रतिवेदन'

कर्नाटक में हिन्दी की वर्तमान स्थिति : नीतियों से उपजी विसंगति

दिनांक 03-04 फरवरी 2024 को 'भारतीय हिन्दी प्राध्यापक परिषद' के प्रथम अनौपचारिक अधिवेशन में कर्नाटक राज्य में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020' के अनुपालन में हिन्दी-शिक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा-परिचर्चा का सार-संक्षेप।

स्थान : अलायंस विश्वविद्यालय, बंगलुरु, कर्नाटक का सेंट्रल कैंपस।

सहभागी मंच : कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय कॉलेज हिन्दी प्राध्यापक संघ।

प्रस्तुतकर्ता : डॉ. दीपक त्रिपाठी

इस संगोष्ठी में एक विशेष मुद्दा उभरकर सामने आया। ये मुद्दा 'भारतीय हिन्दी प्राध्यापक परिषद' के उद्देश्यों तथा उसकी चिन्ताओं से सम्बद्ध है। इस मुद्दे को दक्षिण भारत से आये कई प्रतिभागियों ने उठाया। सर्वप्रथम उद्घाटन-सत्र (03 फरवरी) का संचालन कर रहे डॉ. विनय कुमार यादव ने अपने संचालन के दौरान इस मुद्दे को पटल पर रखा और हिन्दी-भाषी राज्यों से आये प्राध्यापकों से इस दिशा में सहयोग की अपेक्षा की।

दूसरे दिन (04 फरवरी) प्रथम सत्र का संचालन कर रहे डॉ. श्रीधर पी. डी. ने भी ज़ोरदार ढंग से इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। इसी सत्र में तमिलनाडु से आयीं डॉ. अनुराधा पाकलपाटी ने भी इस मुद्दे पर सहयोग की अपील की और अन्त में इस सत्र की अध्यक्षता कर रहीं 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की प्रो. अमर ज्योति ने तो इस मुद्दे पर बहुत ही भावनात्मक और मर्मभेदी वक्तव्य दिया। उनका वक्तव्य एक गुहार जैसा था जो वे दक्षिण भारत में हिन्दी को बचाने के लिए लगा रही थीं। पूरे कार्यक्रम की समाप्ति पर धन्यवाद ज्ञापन के दौरान इस संगोष्ठी के आयोजक-मण्डल के अहम सदस्य डॉ. एस. ए. मंजुनाथ ने इसे 'दुख भरी कहानी' की संज्ञा देते हुए अत्यन्त करुणा और क्षोभ के साथ पूरे मुद्दे को प्रस्तुत किया।

उपर्युक्त सभी अहिन्दी भाषी प्रदेश के हिन्दी-प्राध्यापकों के अलग-अलग वक्तव्यों से जो कहानी उभरकर सामने आयी वो बिन्दुवार इस प्रकार है-

01. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) में भाषा-सम्बन्धी जो नीतियाँ सुझायी गयी हैं उनका पालन करनेवाला कर्नाटक ही सबसे पहला राज्य है। अफ़सोस कि इस शीघ्र अनुपालन के पीछे कुछ और ही उद्देश्य छिपा था। पहली बात तो ये कि इसे स्कूल स्तर पर न लागू करते हुए सीधे कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च कक्षाओं में लागू कर दिया गया। दूसरी बात ये कि भाषा-अध्ययन के अन्तर्गत कन्नड़ को अनिवार्य कर दिया गया। तीसरी बात ये कि भाषा-अध्ययन की अवधि को 02 वर्ष से घटाकर 01 वर्ष कर दिया गया।

02. जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 का दिशा-निर्देश अस्तित्व में आया तो देश में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा था। सन 2020 की 29 जुलाई को इसकी घोषणा हुई और 2021 के सत्र से कर्नाटक राज्य सरकार ने इसे लागू कर दिया। ये अत्यन्त हड़बड़ी में की गयी जल्दबाज़ी थी।

क्या जल्दबाज़ी में राज्य सरकार द्वारा लिया गया ये निर्णय युक्तियुक्त और तर्कसंगत है कि किसी छात्र ने इण्टरमीडिएट (10+2) स्तर तक दूसरी भाषा में पढ़ाई की हो और स्नातक स्तर पर अचानक उसे किसी अन्य भाषा का सामना करना पड़े।

03. जैसे ही कर्नाटक राज्य सरकार ने कन्नड़ को अनिवार्य किया, विद्यार्थियों के समक्ष दूसरी भाषा के रूप में सिर्फ़ अंग्रेज़ी का ही विकल्प अधिक प्रासंगिक और उपयोगी हो गया। हिन्दी का विकल्प आश्चर्यजनक ढंग से लुप्त हो गया। इस जल्दबाज़ी से छात्र और अभिभावक दुविधा की स्थिति में फँस गये। जो विद्यार्थी 12 वीं तक कन्नड़ से अनभिज्ञ थे, भले ही वे व्यावहारिक रूप से कन्नड़-भाषी थे, उन्हें अचानक स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कन्नड़-भाषा और साहित्य का व्यापक पाठ्यक्रम कैसे पढ़ाया जा सकता था। विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों ही असहाय और निरुपाय हो गये थे।

04. कोरोना-काल में एक समस्या यह भी थी कि लगभग सभी विद्यालय ऑनलाइन माध्यम से कक्षाओं का संचालन कर रहे थे और अध्यापकों का वेतन 50 प्रतिशत, 40 या 30 प्रतिशत तक हो गया था। विद्यार्थियों से लगातार फीस न मिल पाने की स्थिति में कहीं-कहीं छः-छः महीने तक वेतन नहीं मिल रहा था। इस कोढ़ में खाज ये भी हुई कि निजी संस्थानों के लगभग 04 हज़ार हिन्दी-अध्यापकों को छाँटकर बाहर कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा विज्ञान, कॉमर्स तथा समाज विज्ञान के अन्यान्य विषयों पर NEP-2020 के सुझावों को लागू नहीं किया गया, जबकि सुधार के नाम पर

सबसे पहले भाषा पर ही गाज गिरी; वो भी मात्र हिन्दी-भाषा पर। यही नहीं, अँग्रेज़ी के बाद कन्नड़ को अनिवार्य करने से कर्नाटक में तमिल, तेलुगु तथा मलयालम पर भी संकट आ गया।

05. जो शिक्षक सरकारी संस्थानों में स्थायी रूप से नियुक्त थे उन्हें विशेष परेशानी नहीं हुई, लेकिन निजी संस्थानों के लगभग 04 हज़ार हिन्दी-शिक्षक बेरोज़गार हो गये। ध्यान रहे ये समस्त हिन्दी-शिक्षक कन्नड़-भाषी थे। इनमें से एक-दो प्रतिशत, जिनके पास कन्नड़ पढ़ाने की अर्हता थी वे समझौता करते हुए कन्नड़ पढ़ाने पर राज़ी होकर जीविकोपार्जन में लग गये।

06. इन समस्त हिन्दी-शिक्षकों ने शिक्षामंत्री तथा अन्यान्य नेताओं-अधिकारियों से मिलकर गुहार लगायी, गृहमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन जब कहीं से कुछ हासिल नहीं हुआ तो अन्ततः न्यायालय की शरण में गये। यहाँ से उन्हें राहत मिली और पूर्वस्थिति को यथारूप बनाये रखने का आदेश मिला। हाईकोर्ट ने 'स्टे' दे दिया। अभी तक कोई स्थायी निर्णय नहीं हुआ है।

07. दो भाषाओं के विकल्प होने पर जब एक भाषा कन्नड़ को अनिवार्य कर दिया जायेगा तो स्पष्ट है कि प्रत्येक विद्यार्थी दूसरी भाषा के रूप में अँग्रेज़ी का ही चयन करेगा। ऐसे में जो समस्याएँ उत्पन्न होंगी वे कुछ इस प्रकार हैं—

(क) लगभग एक-दो दशक बाद कर्नाटक में सिर्फ अँग्रेज़ी और कन्नड़ जाननेवाले ही उपलब्ध होंगे।

(ख) कर्नाटक राज्य हिन्दी में पिछड़ जाने के कारण भारत के अन्य राज्यों से कट जायेगा।

(ग) कन्नड़ से हिन्दी और हिन्दी से कन्नड़ अनुवाद किये गये साहित्य का अभाव हो जायेगा, जो भविष्य में और भी घटता चला जायेगा। इससे न तो हिन्दी के साहित्यकार कन्नड़-भाषियों तक पहुँच सकेंगे और न ही कन्नड़ के साहित्यकार हिन्दी-भाषियों तक पहुँच पायेंगे।

(घ) हिन्दी की जानकारी कम होने के कारण कर्नाटक राज्य के नेताओं की केन्द्रीय राजनीति में भागीदारी घटेगी, वर्चस्व घटेगा। ये अहिन्दी-भाषी नेता न तो अपनी बात शेष भारत को बता सकेंगे और न ही उनकी बातें समझ सकेंगे।

(च) हिन्दी के अभाव में इस भाषा के विद्वानों का आवागमन और पारस्परिक मेल-मिलाप कम होते-होते धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगा। न दक्षिण के लोग पूरे भारत में जाकर वैचारिक आदान-प्रदान करने की स्थिति में रह जायेंगे और न ही अन्य हिन्दी राज्यों के लोग दक्षिण के ज्ञान से लाभान्वित हो सकेंगे। पर्यटकों और पर्यटन-व्यवसाय से जुड़े लोगों का काम तो अँग्रेज़ी से चलता ही रहेगा।

08. कर्नाटक की देखादेखी यदि ऐसा ही अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों ने करना शुरू कर दिया तो सम्पूर्ण दक्षिण भारत सम्पूर्ण भारत से कट जायेगा। हिन्दी से जिस राष्ट्रीय एकता की अपेक्षा की जाती है, वह खण्डित हो जायेगी। विविधता में एकता लाने का जो काम भाषा के स्तर पर हिन्दी कर रही है, वो अप्रासंगिक हो जायेगा।

09. एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से व्यवसाय तथा नौकरी आदि के सिलसिले में हज़ारों लोग कर्नाटक में स्थायी रूप से बस चुके हैं या स्थानान्तरण के कारण कुछ वर्ष समय बिताते हैं। वे सब अपने बच्चों को हिन्दी पढ़ाना चाहते हैं। यदि स्कूलों तथा कॉलेजों से हिन्दी को समाप्त कर दिया गया तो ये सब कहाँ जायेंगे ?

राज्य सरकार के इस विसंगतिपूर्ण तथा विडम्बनापूर्ण आदेश से कन्नड़ और ग़ैर कन्नड़-भाषियों के बीच वैमनस्य और नफ़रत की भावना ने जन्म ले लिया है, जिसके दिन-ब-दिन उत्तरोत्तर बढ़ने की ही उम्मीद है। समाचार-पत्रों से ज्ञात होता है कि कई स्थानों पर हिन्दी में लगाये गये दुकानों के बोर्ड की तोड़फोड़ की गयी और स्थिति दंगे तक पहुँची तो पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा।

(www.livehindustan.com/national/story-language-dispute-in-karnataka-english-signboards-broke-the-matter-of-60-percent-kannada-9122081.html तथा www.bhaskar.com/national/news/karnataka-bengaluru-language-controversy-hindi-vs-kannada-protest-132352521.html दिनांक- 19.03.2024 को देखा गया।)

10. 'भारतीय हिन्दी प्राध्यापक परिषद' ने इस मुद्दे पर 'कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय कॉलेज हिन्दी प्राध्यापक संघ' के उपस्थित पदाधिकारियों से वादा किया है कि उनकी हर सम्भव मदद की जायेगी। मौखिक रूप से कई प्रोफ़ेसरों ने संगोष्ठी में इस मुद्दे को उठानेवाले साथी प्राध्यापकों से व्यक्तिगत स्तर पर भी आश्वासन दिया है कि वे हर प्रकार के आन्दोलन और अभियान में उनके साथ हैं।

एक तात्कालिक आश्वासन या निर्णय इस बात का भी हुआ है कि भविष्य में 'भारतीय हिन्दी प्राध्यापक परिषद' का जो भी आयोजन-अधिवेशन होगा, उसमें दक्षिण भारत तथा ग़ैर हिन्दी भाषी राज्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

सम्पर्क : डॉ. दीपक त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर
हिन्दी-विभाग, आर. के. कॉलेज, मधुबनी, बिहार- 847211
मो.- 9415142314